iv. आधार आधारित ई–नामांकन

सदस्यों/लाभार्थियों को आधार आधारित ई–नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसने **नामित व्यक्तियों** के लिए सदस्य की मृत्यु के बाद लाभों का दावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाना सुविधाजनक बनाया है।

v. भारत सरकार की डिजिलॉकर सुविधा के साथ समेकन

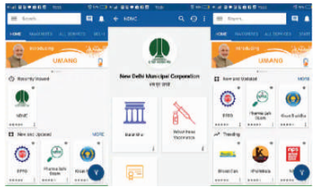

पीपीओ की प्रति भारत सरकार के डिजिलॉकर में बनाए रखने की सुविधा की शुरूआत की गई है जिसमें ईपीएफओ–पेंशनधारक अपने पीपीओ तक आसानी से पहुँच बना सकते हैं। रख–रखाव और पुनःप्राप्ति को सुगम बनाने के लिए पिछले सभी पीपीओ भी डिजिलॉकर में डाले जा रहे हैं।

7. आदर्श कैरियर केन्द्र

National Career Service
सही अवसर, सही समय
Right Opportunities, Right Time

MCC
MODEL CAREER CENTRE

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनएससी) परियोजना में नियोजन सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य/संघ राज्य–क्षेत्रों की सरकारों के सहयोग से आदर्श कैरियर केन्द्र स्थापित करने की संकल्पना है ताकि सक्षमकारी नियोजन सेवाएं प्रदान की जा सकें।

25* और अधिक आदर्श कैरियर केन्द्र (एमसीसी) संस्वीकृत किए गए हैं, जिससे कुल **संस्वीकृत एमसीसी बढ़कर 164** हो गए हैं।

नौकरी खोजने वालों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए ये एमसीसी आधुनिक अवसंरचना, व्याख्यान कक्ष, सलाह सुविधा–केन्द्र, इंटरनेट संयोजकता आदि से सज्जित हैं। पूरे देश में आदर्श कैरियर केंद्रों तथा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 530 रोजगार मेला का आयोजन किया गया जिसमें 1.08 लाख रिक्तियां जुटाई गईं, 81,000 हजार से अधिक बेरोजगारों तथा 2000 हजार नियोक्ताओं ने इसमें भाग लिया तथा लगभग 20,500 अभ्यर्थियों को प्रस्ताव–पत्र दिए गए।

* नेल्लोर, अहमदाबाद, रीसि, पुलवामा, डोडा, बारामुल्ला, घाटसिला, चन्डिल, धनबाद, टुमकुर, कोलार, देवांगिरि, बेल्लारी, मेंगलोर, बरेली, आगरा, सहारनपुर, गोन्डा, फैजाबाद, बस्ती, लखीमपुर खिरी, मुजफ्फरनगर, हरदोई, सीतापुर, बिजनौर।

Website : http://www.labour.nic.in

श्रमेव जयते

मोदी 2.0 सरकार

के अंतर्गत

100 दिन

श्रमेव जयते

प्रमुख पहलें / उपलब्धियां

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में श्री संतोष कुमार गंगवार, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा इसके अधीन संगठनों ने अपनी **दूसरी अवधि के 100 दिनों** के दौरान व्यवसाय सुगमता के लिए प्रभावी अनुपालन तथा नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के सुगम जीवन–यापन में सुधार लाने हेतु कई प्रमुख पहल तथा कार्य किए हैं:

1. मजदूरी अधिनियम संबंधी संहिता, 2019, 08.08.2019 को अधिसूचित की गई।

एक अभूतपूर्व पहल जिसमें प्रावधान हैं –

कामगार के लिए:

- सभी 50 करोड़ कामगारों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार
- मजदूरी सीमा के होते हुए सभी को समय पर भुगतान
- तल मजदूरी से कम न्यूनतम मजदूरी राज्यों द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती

नियोक्ता के लिए:

- बाधा रहित अनुपालन–ऑनलाइन एक रजिस्टर, एक फॉर्म और एक विवरणी
- मजदूरी की सरल, स्पष्ट, एकसमान परिभाषा–इससे अनुपालन लागत में कमी आई है

प्रभाव:

- कम से कम न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के कानूनी अधिकार का सार्वजनीकरण और सभी क्षेत्रों के सभी कामगारों को मजदूरी का भुगतान करना।
- न्यूनतम मजदूरी में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम तल मजदूरी की संकल्पना को लागू करना।
- प्रभावी प्रवर्तन के लिए मौजूदा न्यूनतम मजदूरियों की संख्या को कम करना।
- मजदूरी की एकसमान परिभाषा।
- पारदर्शी, जवाबदेह और क्षेत्राधिकार मुक्त वेब आधारित निरीक्षण प्रणाली।

2. [redacted] **व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता विधेयक, 2019** को लोक सभा में 23.07.2019 को प्रस्तुत किया जा चुका है।

प्रभाव:

- ओएचएस संहिता में 10 या अधिक कामगार वाले प्रतिष्ठान शामिल होंगे।
- अनुपालन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक विवरणी।
- कामगारों की वार्षिक स्वास्थ्य जांच।
- सभी कामगारों को अनिवार्य रूप से नियुक्ति पत्र जारी करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा के मानक तैयार करने के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य बोर्ड।
- ठेका श्रमिकों के प्रावधानों के अंतर्गत 5 वर्ष की वैधता के लिए एकल लाइसेंस।

3. वृद्धावस्था सुरक्षा हेतु पेंशन

i. व्यापारी एवं स्वरोजगारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन देने के लिए 22 जुलाई, 2019 को अधिसूचित की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत नामांकन 5 सितम्बर, 2019 से शुरू हो गए हैं। इस स्कीम में 18–40 वर्ष की आयु समूह के वे व्यापारी अपना नामांकन करा सकते हैं, जिनकी वार्षिक बिक्री 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है।

प्रभाव: इस स्कीम से लगभग 2.5 से 3 करोड़ खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों, दुकानदारों और स्व–नियोजित व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।

ii. प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन योजना

यह योजना 15 फरवरी, 2019 से शुरू हुई है। इस योजना में 18–40 वर्ष की आयु समूह के असंगठित कामगार शामिल हो सकते हैं जिनकी मासिक आय 15,000/- रुपये या इससे कम है। देशभर में लगभग 32.20 लाख लाभार्थियों ने पीएम–एसवाईएम के अंतर्गत अपना नामांकन कराया है।

4. ईएसआई अंशदान दर में कमी

केन्द्र सरकार ने दिनांक 13.06.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत 01.07.2019 से अंशदान की दर को वेतन के 6.5% से कम करके 4% किया है।

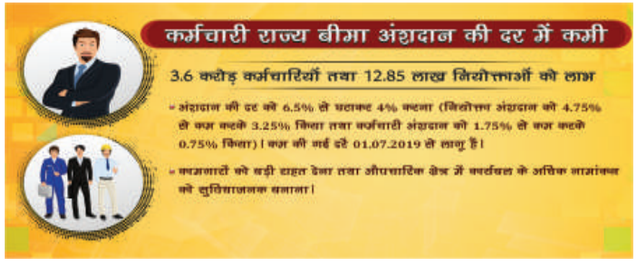

उदाहरणस्वरुप, 10,000/- रूपये प्रतिमाह की मजदूरी पाने वाले कामगार समान मजदूरी के लिए पूर्व में अंशदान कर रहे 175/- रूपये के स्थान पर अब मात्र 75/- रूपये का अंशदान करेंगे। नियोक्ता भी 475/- रूपये प्रतिमाह के स्थान पर 325/- रूपये का अंशदान करेंगे।

5. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 – संराशिकृत पेंशन की बहाली

वर्ष 2008 तक ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनधारक के पास पेंशन राशि के संराशिकृत मूल्य के शत–प्रतिशत का एक–मुश्त भुगतान मासिक पेंशन के एक–तिहाई भाग के रूप में लेने का विकल्प था। परिणामतः जीवन पर्यन्त उसकी मूल पेंशन घटकर एक–तिहाई रह जाती थी। कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड ने 21 अगस्त, 2019 को 15 वर्षों के संराशिकरण (कम्यूटेशन) के पश्चात पेंशन के संराशिकृत मूल्य को बहाल करने की संस्तुति की है। इससे पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। इसमें एक पेंशनधारक जिसका मूल पेंशन 01.01.2000 को 3000 हजार रू. प्रतिमाह था और जिसने संराशिकरण का विकल्प लेकर पेंशन के एक–तिहाई अर्थात एक लाख रूपये (मूल पेंशन राशि का एक–तिहाई अर्थात 1000X100 रूपये) का संराशिकरण लाभ लिया था, वह जीवन–पर्यन्त 2000/- रूपये प्रतिमाह का पेंशन पा रहा था। ऐसे पेंशनधारक संराशिकृत मूल्य की बहाली के पश्चात 3000/- रूपये प्रतिमाह का पेंशन प्राप्त करेंगे।

इस कदम से ईपीएस के लगभग 6.3 लाख पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।

6. ईपीएफओ के अंशदाताओं के लिए बेहतर सुविधाएं

i. छूट प्राप्त न्यासों से निधियों के ऑनलाइन अंतरण की सुविधा

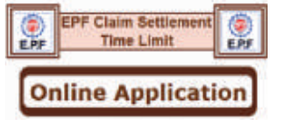

छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों से गैर – छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में जाने वाले कर्मचारियों के लिए **'भविष्य निधि जमा राशि का ऑनलाइन अंतरण (ट्रांसफर)'** की सुविधा शुरू होने के कारण कोई सदस्य निधियों के अंतरण (ट्रांसफर) के लिए ऑनलाइन दावा दाखिल कर सकता है और उसकी निधि में जमा राशि का ट्रांसफर और मामले का निपटान इलैक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने से समय और धन की बचत हो रही है।

इस कदम से छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लगभग एक करोड़ कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं।

ii. मृत्यु, पेंशन तथा बीमा लाभ की सुविधा

सभी दावा श्रेणियों के निपटान के लिए **'ऑनलाइन दावा निपटान'** सुविधा का आरंभ किया गया है। इससे कर्मचारियों की नियोक्ताओं पर निर्भरता दूर हुई है और अंशदाताओं के लिए शीघ्र सेवा सुनिश्चित होने से उनका जीवन सहज हो जाएगा।

अगस्त, 2019 के दौरान 92.9 प्रतिशत ऑनलाइन दावे प्राप्त हुए थे।

iii. ईपीएफआईजीएमएस (शिकायत पोर्टल) में परिवर्तन

शिकायतें दर्ज करने तथा उनका निपटान करने के लिए परिवर्तित **ईपीएफआईजीएमएस नामक एक 'प्रयोक्ता** हितैषी एकल विंडो द्विभाषी शिकायत पोर्टल' की शुरूआत की गई है।

इस पोर्टल के माध्यम से शिकायत निपटान की **समय–अवधि में कमी** आ रही है और **शिकायत का पंजीकरण एवं पड़ताल सुलभ** हो रही है।